न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 180/2018 (18 आयुध अधिनियम 1959)(RCMS No.2018/ 00198)

देवीसिंह पुत्र श्री मुरली सिंह जाति ठाकुर निवासी परसुसआपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 30.7.2018

उपस्थितिः—

1. श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 18.9.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.7.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अपने अनुज्ञापत्र संख्या 18/68 जो दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु दिनांक 26.12.2016 को तहत अदालत के समक्ष आवेदन किया। जिस पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलान्ट के खिलाफ दायर मुकदमा संख्या 158/2005 का हवाला देते हुये अनुज्ञापत्र को बहाल न किये जाने की अनुशंषा की गई। जिसके आधार पर तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 3.7.2017 से अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में दायर की गई। न्यायालय हाजा के द्वारा तहत अदालत के गत आदेश दिनांक 3.7.2017 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया । तहत अदालत द्वारा रिमाण्ड किये गये प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 18/1968 निरस्त रखा गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 18/68 श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा विधिवत रूप से सन 1968 में जारी किया गया था अर्थात काफी अर्सा पुराना है। अपीलान्ट द्वारा सन 1968 से लेकर आज दिनांक तक उक्त शस्त्र का कभी कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है और न ही लाईसेंसी हथियार कभी किसी मुकदमें में विवादित रहा है। अपीलान्ट ने कभी भी लाईसेंसी हथियार का गलत दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त शस्त्र लाईसेंस से संबधित तहत अदालत की समस्त शर्तों की पूर्ण रूपेण पालना की गई है। सन 1968 से निरन्तर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकृत होता रहा है फिर भी तहत अदालत ने बिना काई जांच परीक्षण किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। यह कि तहत अदालत ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है वह गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई है क्यों कि उक्त प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध सन 2005 में मुकदमा नम्बर 158/2005 दर्ज हुआ था जो लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर दिनांक 4.6.2007 को ही समाप्त हो चुका है इसके पश्चात कोई भी अन्य फौजदारी अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा इस प्रकरण में बरी होने के बाद कोई भी प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है और अपीलान्ट शान्ती–पूर्वक सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है बाबजूद इसके अपीलान्ट के चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट का लाईसेंस दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिवस को कोई प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ पंजीबद्ध नहीं था अपीलान्ट के द्वारा दौराने प्रस्तुत नवीनी करण प्रार्थनापत्र समस्त तथ्य तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे फिर भी बिना किसी आधार के अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है। यह कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 6.12.2017 को प्रकरण तहत अदालत के लिये पुनः सुनवाई कर न्यायसंगत निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया था। बाबजूद इसके अपीलान्ट की तथ्यपरक सुनवाई नहीं हुई और कयास , संभावना और पुलिस अधीक्षक की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो काबिले मंसूखी है। अपीलान्ट द्वारा लोक शान्ती भंग का कोई कृत्य नहीं किया है केवल मात्र पूर्व प्रकरण को आधार बनाया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं है जबकि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नियमानुसार निरन्तर नवीनीकरण होता रहा है। इस संबध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों 2013 (2) डब्लू एल सी (राज0) 393, 2016(3) सी एल आर (राज0) 1292, 2005 (2) सी एल आर (राज0) 907 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक मामले के लम्बित रहने से अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण को दिनांक 4.6.2007 को ही समाप्त हो चुका है एवं सन 2005 से 2015 तक लाईसेस नियमानुसार नवीनीकृत होता आया है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 6.12.2017 के द्वारा तहत अदालत को रिमाण्ड किया गया था जिसमें तहत अदालत के गत आदेश दिनांक 3.7.2017 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया । तहत अदालत द्वारा रिमाण्ड किये गये प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई है। अपीलान्ट की भी विधिवत सुनवाई की गई है। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से अपीलान्ट के चरित्र संबधी एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के संबध में तथ्यात्मक रिपोर्ट स्पष्ट अभिशंषा के साथ चाही गई तो उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.5.2018 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट के खिलाफ थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 158/2005 धारा 147, 148, 149, 323, 325 भा0द0सं0 दर्ज हुआ है। प्रकरण में माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या –2 धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 4.6.2007 में प्रार्थी को धारा 323 , 325 में राजीनामा से बरी तथा धारा 148 में दोषी घोषित किया जाकर पांच हजार रूपये के जमानत मुचलके से एक वर्ष के लिये पाबन्द कर रिहा किया गया है और अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक जो जिले में शान्ती व्यवस्था कायम रखने हेतु एक जिम्मेदार अधिकारी है की अनुशंषा/रिपोर्ट के आधार पर ही लोकशान्ती भंग होने के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् है। अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण न्यायालय हाजा से पूर्व निर्णय दिनांक 6.12.2017 से रिमाण्ड किया गया था। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपना गत आदेश ही बहाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रखा है। अपीलाधीन आदेश में मुकदमा संख्या 158/2005 को आधार बनाया गया है जबकि अपीलान्ट का कहना है कि इस प्रकरण का दिनांक 4.6.2007 को ही राजीनामा के आधार पर सक्षम अदालत द्वारा निर्णित किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य कोई प्रकरण न तो था, न वर्तमान में है। दौराने अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण कार्यवाही भी अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं था ऐसी स्थिति में तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश उचित नही है अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्तों 2013 (2) डब्लू एल सी (राज0) 393, 2016(3) सी एल आर (राज0) 1292, 2005 (2) सी एल आर (राज0) 907 का हवाला दिया गया जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश अथवा जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अंतर्गत एक मात्र निर्णित शुदा प्रकरण 158/2005 को आधार बनाया जाकर अपीलान्ट के चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाना उचित नहीं रहता है तब जबकि सक्षम अदालत माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या –2 धौलपुर के द्वारा अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 4.6.2007 को ही राजीनामा के आधार पर बरी किया जाकर नियमानुसार रिहा भी किया गया है। सक्षम अदालत द्वारा पूर्व में निर्णित शुदा प्रकरण जो राजीनामा अथवा किसी भी कानूनी बिन्दु पर निर्णित हुआ हो उसको नजर अंदाज किया जाना न्यायिक नहीं रहता है। इसके अलावा प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि दौराने अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण कार्यवाही अपीलान्ट पर कोई भी मुकदमा दायर अथवा विचाराधीन नहीं था । ऐसा भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे अपीलान्ट के खिलाफ एक मात्र निर्णित शुदा प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन रहा हो। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र वर्ष 2015 तक निरन्तर नवीनीकृत होता रहा है फिर ऐसे क्या कारण रहे कि वर्ष 2007 में निर्णितशुदा प्रकरण को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है। यह सही है कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है किन्तु अपीलान्ट के चालचलन बाबत ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उसके वर्तमान में अथवा दौराने निरस्तीकरण कार्यवाही किसी अपराध में संलिप्त माना जा सके न ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया कि उसके द्वारा लाईसेंसी हथियार का दुरूपयोग किया गया हो। ऐसी स्थिति में आज के हालातों को नजर–अंदाज करते हुये वर्ष 2005 में दायर एवं वर्ष 2007 में निर्णित शुदा प्रकरण को आधार बनाया जाकर अनुज्ञापत्र को बिना किसी ठोस आधार के निरस्त किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। फिर भी चूंकि जिला अधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी है जिन पर जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का पूर्ण दायित्व रहता है ऐसी स्थिति में प्रकरण माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं अपीलान्ट की नेक चलनी की प्रवृत्ति के परिपेक्ष्य में पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना ही उचित रहता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट की समुचित सुनवाई के साथ–साथ प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official